ख़िराज की अदायगी का तरीक़ा

छटे सेमिनार में ही इस विषय पर भी ग़ौर हुआ और निम्न बातें तय पायीं।

1-सेमिनार में सम्मिलित कुछ विद्वानों की राय में ख़िराज़ वाजिब नहीं है। लेकिन जो लोग भारत की ख़िराजी ज़मीनों में ख़िराज को ज़रूरी मानते है उनमें भी दो राय हैं एक का मानना है कि यह ख़िराज सरकार की तरफ़ से वसूले गए लगान से अदा नहीं होगा, बल्कि ज़मीन के मालिक को शरई तरीक़े पर ख़िराज निकालना होगा और निर्धारित मद में ही ख़र्च करना होगा जबकि दूसरा मत यह है कि ज़मीन पर जितना शरई ख़िराज निकलता है उसमें से सरकार की तरफ़ से वसूला गया लगान निकाल कर बाक़ी मात्रा को शरई ख़िराज की मद में ख़र्च करना होगा।

2- भारत की ख़िराजी ज़मीन पर मुक़ासमा ख़िराज लागू होता है या मुवज़्ज़फ़ ख़िराज? इस सिलसिले में कुछ लोगों ने अदायगी और हिसाब किताब की आसानी की वजह से तमाम ख़िराजी ज़मीनों में मुक़ासमा ख़िराज लाज़िम क़रार दिया है। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि जिन ज़मीनों के बारे में ऐतिहासिक तौर पर यह सहमति है कि उनपर विजय प्राप्त करने के बाद मुक़ासमा ख़िराज लागू किया गया था (जैसे गुजरात और राजपुताना में) उनमें मुक़ासमा ख़िराज ही लागू होगा, और इसकी मात्रा भी वही होगी जो उस समय निर्धारित की गयी थी और इसके अलावा बाक़ी ख़िराजी ज़मीनों पर मुवज़्ज़फ़ ख़िराज की अदायगी ज़रूरी होगी।

☆☆☆